सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-236/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति–श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : 04 सितम्बर, 2023 ~~अगस्त, 2023~~

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या : 9659 दिनांक 15.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **बालगंगा महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी गढ़वाल** को **बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, मानव विज्ञान)** पाठ्यक्रम में **शैक्षिक सत्र 2022–23** हेतु **नवीन अस्थायी सम्बद्धता** का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम–2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	बालगंगा महाविद्यालय, सेन्दुल केमर, टिहरी गढ़वाल।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, इतिहास, मानव विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	शैक्षिक सत्र 2022–23

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह की अवधि में उपलब्ध कराये।
- संस्थान में भवन एवं फैकल्टी मानकानुसार पूर्ण कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा यदि अपूर्ण मानकों के

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 04/09/2023 04:21 pm

I/792/2023

कारण छात्रों के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

- प्राभूति के रूप में एफ0डी0आर0 बंधक रखवाते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय संस्थान से Society Registration Act or Trust Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation **पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या प्राप्त कर 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगा।**
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 30-08-2023 17:04:53

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या : 792 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-236/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य–सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

Generated from eOffice by SACHCHIDA NAND CHAMOLI, SO-SNC, SECTION OFFICER, Rajbhawan on 04/09/2023 04:21 pm